न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 30/2023 ता0 रजू 07.02.2023

उनवान

1. रामलाल पि0 छीतर जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
2. लाला पि0 छीतर जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
3. अम्बालाल पि0 छीतर जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
4. हीरा पि0 छीतर जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
5. हेमराज पि0 छीतर जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
6. रामदेव पि0 मूला जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
7. महावीर पि0 मूला जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
8. राजूलाल पि0 मूला जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह ।

—वादीगण—

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पि0 कल्याण जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।
2. रमेश पि0 कल्याण जाति धाकड निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह।

—प्रतिवादीगण—

आदेश दिनांकः—15.04.2024

वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजियात ख0नं0 1973 रकबा 0.76 है0, 1286 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक व मौरूषी सम्पति है जो पूर्वज चतुर्भुजा के द्वारा बनाई बसाई गई है। चतुर्भुजा ना औलाद फौत हुआ है। उसके प्रथम श्रेणी का कोई विधिक वारिसान न होने से वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के दादा बालू व उसके लडके छीतर, कल्याण, मूला तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण ही मृतक चतुर्भुजा के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। गोपाल के चतुर्भुजा व बालू हुए। चतुर्भुजा नाऔद फौत हो गया। बालू के वारिस छीतर , कल्याण, मूला हुए। छीतर फौत हो गया है। उसके वारिसान वादीगण नं. 1 ल0 5 है। मूला के वारिसान वादीगण नं. 6 ल0 8 है तथा कल्याण के वारिसान प्रतिवादी नं. 1, 2 है।

आराजियात मुतदाविया पैत्रक व मौरूषी है जो साबिक रिकार्ड में वादीगण के दादा चतुर्भुजा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। दादा चतुर्भुजा की नाऔलाद फौत हो जाने के पश्चात उक्त आराजियात प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता कल्याण जो परिवार का कर्ता खानदान होने व चतुर चालाक किस्म का होने के कारण अकेले अपने नाम चतुर्भुजा का गोदपुत्र बनकर लगवा ली। जबकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण नं. 1 ल0 5 का 1/3 हिस्सा व वादीगण नं. 6 ल0 8 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर आराजियात को इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण इन्ही हिस्सो के अनुसार आराजियात की खातेदारी की घोषणा अपने हक में प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया है। वर्तमान में वाद ग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता कल्याण के नाम खातेदारी में दर्ज होने से व कल्याण की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी नं. 1 एवं 2 कल्याण के विधिक वारिसान उक्त आराजियात में अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाकर अपने नाम खातेदारी वादीगण को उनके हक हिस्सो से महरूम करना चाहते है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर वाद ग्रस्त आराजियात वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह में वादीगण नं. 1 ल0 5 को हिस्सा 1/3 के, वादीगण नं. 6 ल0 8 को हिस्से 1/3 के तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाकर राजस्व रिकार्ड में दरामद करवाया जावे।

वाद वादीगण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] जरिये सम्मन की गई। जिस पर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर इकबालिया [illegible] राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल कराया [illegible] नहीं आया इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् [illegible]-2076 खाता संख्या 47 प्रदर्श [illegible] खाता संख्या 46 प्रदर्श 2 वाके ग्राम मोर पेश किये। फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र कल्याण का पेश किया [illegible] बयानात वादी समदेत वादी अम्बालाल के साक्ष्य वादी के कराये। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण के करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस अभि0 उभय पक्ष सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। तथा अभि0 उभय पक्ष ने निवेदन किया कि दावा वादीगण मुताबित राजीनामा डिक्री फरमा दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वाद ग्रस्त आराजियात मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 47 एवं खाता संख्या 46 कमशः प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 2 के अनुसार कल्याण पुत्र मु0 चतुर्भुजा के नाम खातेदारी में चली आ रही है। वादीगण का कथन कि उक्त आराजियात उनके पूर्वज चतुर्भुजा के समय की है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक एवं मौरूषी है। इस तथ्य को व इस कथन को प्रतिवादीगण अपने जवाब दावे एवं राजीनामे में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे है। सजरा परिवार को भी प्रतिवादीगण बखूबी स्वीकार कर रहे है। चतुर्भुजा व बालू सगे मां जाये भाई थे। जिनमें से चतुर्भुजा की नाऔलाद मृत्यु हो गई। चतुर्भुजा के कोई जायन्दा औलाद नही होने के कारण उसके सगे भाई बालू व बालू के वारिसान ही उसके वारिसान कानूनी रूप से हुए। इसलिए मृतक चतुर्भुजा की उक्त आराजियात उसके भाई बालू के तीनो पुत्रो छीतर, कल्याण, मूला के नाम बहिस्सा बराबर विरासत में दर्ज होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नही कर अकेला कल्याण ने अपने आपको को चतुर्भुजा का दतक पुत्र बताकर आराजी अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण द्वारा उनके पिता कल्याण को चतुर्भुजा के गोद जावे संबंधी कोई दस्तावेज पेश नही किया तथा नां ही वाद पत्र का विरोध किया, जाहिर है कि आराजीयात मुतनाजा अकेले कल्याण के नाम गलत रूप से विरासत में दर्ज हुई है। कब्जा भी मौके पर बालू के तीनो पुत्रो को वारिसान का हिस्सा 1/3 – 1/3 – 1/3 के अनुसार ही होना उभयपक्ष स्वीकार कर रहे है। वैसे भी प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश होकर राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री चाहते है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.75 है0, 1973 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम मोर तहसील टोडारायसिंह में वादीगण नं. 1 ल0 5 को हिस्से 1/3 के, वादीगण नं. 6 ल0 8 को हिस्से 1/3 के तथा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को हिस्से 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner